राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859

No. 869 /SEIAA/2025,Date 09.07.25

प्रति,
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
मंत्रालय, भोपाल ।

विषयः- पर्यावरण कानून के उल्लंघन कर्त्ता अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने तथा सदस्य सचिव SEIAA एवं प्रमुख सचिव पर्यावरण को कानून का पालन करने के लिए निर्देशित करने बाबत् ।

1. SEIAA में दिनांक 07.05.2025 के बाद से आज दिनांक 09.07.2025 तक एक भी बैठक नहीं हुई है। मेरे द्वारा माह मई 2025 एवं माह जून 2025 में बैठकों के लिए दिनांक एवं समय निर्धारित कर दिया था। (अनु. क्र. 1 एवं 2)

2. भारत सरकार EIA अधिसूचना 2006 के पैरा 8 (iii) में प्रावधान है कि यदि SEIAA का विनिश्चय विहित अवधि (45 दिवस) के भीतर आवेदक को संसूचित नहीं किया जाता है तो आवेदक SEAC की अनुशंसा के अनुसार अग्रसर हो सकता है । (अनु.क्र.2A)

3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. एवं प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग **म.प्र. शासन** द्वारा जानबूझकर सोची–समझी रणनीति के तहत् खनिज माफिया एवं पर्यावरण विरोधियों से आपराधिक गठबंधन कर आपराधिक षडयंत्र रच करके SEIAA की बैठकें आयोजित नहीं होने दी जा रही हैं एवं सदस्य सचिव एवं वं प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग **म.प्र. शासन** मिलकर, **भारत सरकार** EIA **अधिसूचना** 2006 **के पैरा** 8 (iii) की गलत व्याख्या कर, पर्यावरण कानून का उल्लंघन करके, SEIAA को बायपास करके EC की अनुमतियां Pick & choose के आधार पर जारी कर रहे हैं ।

4. **SEIAA द्वारा जिन प्रकरणों में EC स्वीकृत (Grant) कर दी गई है उनमें सचिव द्वारा EC Upload भी नहीं की गई है एवं आवेदक को EC भी जारी नहीं की गई है।** उदाहरण के लिए SEIAA ने अपनी 884वीं बैठक दिनांक 07.05.2025 में एजेंडा में शामिल प्रकरण कमांक P2/1143/24 एवं P2/1144/24 जो इंदौर से उज्जैन सड़क निर्माण से संबंधित है । उक्त दोनों प्रकरण शासकीय परियोजना के है। सिंहस्थ से भी संबंधित है एवं सिंहस्थ की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण **है। इनमें सचिव द्वारा 2 माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी EC जारी नहीं की है।**

5. यह भी उल्लेखनीय है कि **जिन प्रकरणों में SEIAA ने Appraisal नहीं किया, जिन प्रकरणों SEIAA ने EC स्वीकृत (Grant) नहीं की है, उन प्रकरणों में सचिव द्वारा EC जारी कर दी गई है।** उदहारण के लिए 237 प्रकरण सदस्य सचिव द्वारा Appraisal के लिए SEIAA के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये एवं SEIAA के संज्ञान के बगैर, SEIAA से Appraisal कराए बगैर, कानून की गलत व्याख्या कर EC जारी कर दी है । इन प्रकरणों को सचिव द्वारा SEIAA के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए, उसके बाद भी सदस्य सचिव एवं प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग म.प्र. शासन ने मिलकर, EC की अनुमति के पत्र में कूट रचना कर, असत्य रूप से लिखा है कि '' SEIAA द्वारा Deemed Approval माना जा कर पर्यावरण अनुमति दी जाती है (अनु. क्र. 3) ।

6. अध्यक्ष द्वारा बैठक का दिनांक एवं समय निर्धारित कर देने की बावजूद भी बैठक की सूचना जारी नहीं करना, Agenda का अनुमोदन प्राप्त नहीं करना, Agenda तैयार करने में भारत सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करना, SEIAA की बैठकों के निर्णयों को बदल देना, आवेदक का नाम, पता बदल देना, खनिज की मात्रा एवं नाम बदल देना, जिन प्रकरणों को SEIAA द्वारा EC स्वीकृत कर दी गई है। उनमें EC जारी नहीं करना, जिन प्रकरणों को Appraisal के लिए SEIAA के समक्ष ही प्रस्तुत नहीं किया गया उनमें स्वयं सदस्य सचिव एव प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन पर्यावरण विभाग द्वारा EC जारी कर देना, कानून के उल्लंघन की पराकाष्ठा है। यह अराजकता की स्थिति है। यह स्वेच्छा धारित, निरंकुरता एवं अहंकार की भी पराकाष्ठा है।

7. सदस्य सचिव, प्राधिकरण द्वारा की गई गंभीर अनियमितताएं एवं कदाचरण इस कार्यालय के 50 से अधिक पत्रों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा चूका है (अनु. क्र. 4) । अतः अनुरोध है कि कृपया दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर, अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने का कष्ट करे जिससे अराजकता की स्थिति समाप्त हो कर, कानून का राज स्थापित हो।

संलग्न - यथोपरि

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष, SEIAA

पृ.क्र. 870 /SEIAA/2025 भोपाल दिनांक 09.07.25

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, अलीगंज, नई दिल्ली – 110003 की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, अलीगंज, नई दिल्ली – 110003 की ओर कृपया सूचनार्थ।

अध्यक्ष, SEIAA